केंद्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र/18, Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग/Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली-110016/ New Delhi-110016.
फोन नं/.Phone no. : 26858570,
साइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
E- Mail:- pensionkvshq@gmail.com

फ.स. 110230(Misc.)2024-के॰वी॰एस॰ (मु॰) /पे०व॰बी० /5706 दिनाँक 09.08.2024

ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की पेंशन के संराशीकरण की वसूली के सम्बंध में।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पेंशनरों से काफी संख्या में पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली की अवधि में संशोधन हेतु पत्र प्राप्त हो रहे हैं ।

इस सम्बंध में सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन समय-समय पर पेंशनभोगियों के लिय केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियमो और विनियमों का पालन करता है। मौजूदा पेंशन/पेंशन के कम्यूटेशन नियमो के अनुसार, पेंशन का कम्यूटेड मूल्य 15 वर्षों के बाद बहाल किया जाना है। भारत सरकार ने न्यायालयों के किसी भी आदेशों पर उक्त नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है। चूंकि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करता है, इसलिए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्वत: पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली की अवधि में संशोधन नहीं कर सकता है।

इसलिए, विभिन्न पेंशनभोगियों के पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली की अवधि में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तदानुसार इस विषय पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्राप्त प्रतिवेदनो का निस्तारण समझा जाये।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

09.08.24
(सत्य नारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रेषित:-

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी पेंशनर।

प्रतिलिपि:-

1. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ ।
2. सहायक आयुक्त (EDP), के. वि. सं.(मु.) नई दिल्ली को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।